कार्यालय वनमंड़ल सामान्य राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र..

टेलीफोन – (07372) 255007 (का.) 255008 (नि.) ई–मेल dfotrajgarh@mp.gov.in

क्रमांक/माचि/2018/646 राजगढ़ दिनांक :– 16-2-18

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद राजगढ

विषय :– राजगढ जिले में Supply for drinking water pipe line from Mohanpura dam to Rajgarh City हेतु 0.066 हेक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव की स्वीकृति जारी करने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/11 दिनांक 02.01.2018

विषयांकित में लेख है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजगढ द्वारा राजगढ वनमंडल के वनखण्ड राजगढ के कक्ष क्र. पी–45 में सडक किनारें राइट ऑफ वे के तहत मोहनपुरा डेम से राजगढ शहर तक वनक्षेत्र में पानी की पाइप लाईन डालने हेतु प्रस्ताव में अनुमति चाही गई है, प्रकरण में परिक्षेत्र अधिकारी राजगढ से प्रभावित वनक्षेत्र के संबंध में जॉच कराई गई। उनके जॉच प्रतिवेदन अनुसार एन.एच.–52 सडक किनारें पानी की पाइप लाईन डालने में निम्नानुसार वनक्षेत्र प्रभावित होता है।

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत योजना का नाम	प्रभावित वनक्षेत्र			वनखण्ड, बीट का नाम एंव कक्ष क्रमांक	स्थल की जी.पी.एस. रीडिंग
	लंबाई मी. में	चौड़ाई मी. में	कुल रकबा हे. में		
1	2	3	4	5	6
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद राजगढ द्वारा आर.ओ.डब्ल्यू के तहत एन. एच–52 के किनारे पानी की पाइप लाईन डालने बाबत्।	1100	0.6	0.066	बीट राजगढ, पी–45	N 23°59'51.2" E 76°45'24.2" N 24°5'30" E 76°44'46.8"

प्रकरण में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र क्रमांक/11–9–98 एफ.सी. दिं. 16.10.2000 के तारतम्य में म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/18/2002/10–3 दिं. 18.11.2004 , 14.12. 2005,01.07.09 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–11/2015/2637 दिं. 28.10. 2015 एवं मु.व.स. वन वृत्त भोपाल के पत्र क्र./माचि./1098 दिं. 08.02.2018 से प्राप्त अनुमोदन अनुसार प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार राईट ऑफ वे के अंतर्गत पानी की पाइप लाईन के व्यपवर्तन के प्रकरण में वनमंडलाधिकारी को आगामी आदेश तक क्षेत्रीय अधिकार प्रदत्त होने से मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद राजगढ को पीने के पानी की पाइप लाइन बिछाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों क्षेत्रों में यह स्वीकृति जारी नही की जावेगी।
2. वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राइट ऑफ वे के तहत ही दी जायेगी। राइट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।
3. अगर प्रस्ताव एक हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक के है और उनमें वृक्ष कटाई सम्मलित है। तो प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति हेतु मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) को भेजे जायेगे।
4. प्रस्ताव अगर एक हेक्टेयर से कम है ओर वृक्ष कटाई सम्मलित है तो काटे जाने वाले वृक्षों के दस गुना वृक्षों के रोपण की शर्त अधिरोपित करते हुए स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
5. वन भूमि पर भूमिगत पानी की पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार 1.5 मीटर गहरा तथा 0.6 मीटर चौडाई से अधिक नही होगा।
6. म.प्र. शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ–5–14/2005/10–3 दिनांक 30.07.2012 से ओ.एफ.सी. लाइन डालने में पंजीयन शुल्क 5000=00/प्रोसेसिंग शुल्क 5000=00 रूपये की राशि वनमंड़लाधिकारी राजगढ़ के नाम से जमा करायी गई है।वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नही होगा।
7. जहॉ पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना हो वहां आवेदक/संस्थान से स्वीकृत योजना अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि पेशगी में जमा करवाई जावेगी। यह राशि योजना अवधि के आगामी वर्षो के देय में संभावित वृद्धि को ध्यान में रख जमा कराई जावेगी।

8. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जावेगा।
9. रखरखाव की अनुमति वनमंड़लाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
10. समतलीकरण का कार्य आवेदक/संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खंती निकाली गई मिट्टी से किया जावेगा।
11. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नही किया जावेगा।
12. खंती खोदते समय वृक्षो को हानि नही पॅहुचाई जायेगी। तथा खंती में आने वाले वृक्षो की जड़ों को नही काटा जायेगा।
13. म.प्र. शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ–5/16/2000/10–3 दिं. 12.09.2008 अनुसार एक हेक्टेयर तक शहरी क्षेत्र में 4 इंच व्यास वाले पानी की पाइप लाइन बिछाने हेतु नेट प्रेंजेंट वेल्यू की राशि से छूट है। परन्तु प्रकरण में 12 इंच व्यास वाले पानी की पाइप लाइन बिछाने में शासन द्वारा नेट प्रेंजेंट वेल्यू की राशि 41,316=00 रुपये भारत सरकार के कैम्पा मद के खाते में जमा कराये गये है। किन्तु भविष्य में शासन द्वारा नेट प्रेजेन्ट वेल्यू के संबंध में नये दिशा निर्देश प्राप्त होने पर भुगतान योग्य राशि सी.एम.ओ. नगरपालिका राजगढ द्वारा देय होगी।
14. यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमंड़लाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से देय होगी।
15. आवेदक संस्थान से लिखित में वचन पत्र लिया जावेगा, कि यदि भविष्य में भारत सरकार , राज्य सरकार , प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वनमंड़लाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्ते उन्हे मान्य होगीं।
16. आवेदक संस्थान से जिन प्रकरणों में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि एवं नेंट प्रेजेन्ट वेल्यू की राशि ली जाना है। उसे अग्रिम में जमा कराने के उपरांत ही औपचारिक अनुमति कार्य करने हेतु प्रदान की जावेगी। इस औपचारिक अनुमति के जारी होने के पूर्व कार्य नही करने दिया जायेगा।
17. भूमिगत 12 इंच वाले पानी की पाइप लाइन के प्रकरण में राजस्व वन या छोटे बडे झाड़ का वन या वन जैसा की सिविल याचिका कं.202/95 में मा.सर्वोच्च न्याया. द्वारा दिं.12.12.96 के निर्णय के पालन में परिभाषित है,के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक/संस्थान द्वारा अपने प्रस्ताव में सम्मलित कर आवेदन प्रस्तुत किया जावे।
18. उपरोक्त शर्तो का उल्लघंन होने पर स्वीकृति स्वंतः निरस्त मानी जावेगी तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी

उपरोक्त समस्त शर्ते मान्य होने संबंधी लिखित में वचन पत्र कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वन परिक्षेत्र अधिकारी राजगढ के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

वनसंरक्षक एवं
पदेन वनमंड़लाधिकारी
सामान्य वनमंड़ल राजगढ़

पृ.क्रमांक/माचि/2018/647
राजगढ़ दिनांक :– 16-2-18

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कलेक्टर जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. उप वनमंड़लाधिकारी राजगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
7. वनपरिक्षेत्र अधिकारी राजगढ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.एन. वर्मा)
भा.व.से.
वनसंरक्षक एवं
पदेन वनमंड़लाधिकारी
सामान्य वनमंड़ल राजगढ़